# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
## जिला सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 30/2024 | 31.07.2024 | 28.10.2025 |

रामकरण पुत्र श्योराम मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा ——प्रार्थी

बनाम

1. गोपीचन्द पुत्र श्योराम मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
2. लैण्डहोल्डर तहसीलदार तलावडा ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री मो0 इस्लाम खान, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

### निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि हाल ख0न0 187 रकबा 0.22 है0, ख0न0 1944/188 रकबा 0.20 है0, ख0न0 1950/1349 रकबा 1.28 है0 ग्राम रामगढ मुराडा मे स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 187 के लगवा प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1943/187 स्थित है, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1944/188 के लगवा प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1943/187 स्थित है, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1950/1349 रकबा 1.28 है0 के लगवा प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1349 स्थित है। प्रतिवादी झगडालू किस्म का व्यक्ति है। वह आये दिन प्रार्थी के खेतो की डोल तोड देता है एवं मना करने पर झगडा करने पर आमादा हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1950/1349 प्रतिवादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1349, प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1944/188 व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1943/187 तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 187 व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1943/187 के मध्य पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने [illegible] की नकल फर्द मौका ग्राम रामगढ मुराडा दिनांक 27.06.2023, [illegible] 2071 से 2074 खाता संख्या 390, खाता संख्या 389 ग्राम रामगढ मुराडा, नकल नक्शा ट्रेस बाबत खसरा नम्बर 1950/1349, 1944/188, 187 प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2023 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 187 रकबा 0.22 है0, 191 रकबा 0.14 है0 तथा खसरा नम्बर 1950/1349 रकबा 1.28 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तह0 तलावडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी को पडौसी काश्तकार से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 187 रकबा 0.22 है0, ख0न0 1944/188 रकबा 0.20 है0, ख0न0 1950/1349 रकबा 1.28 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तह0 तलावडा की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1950/1349 प्रतिवादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1349, प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1944/188 व प्रतिवादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1943/187 तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 187 व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1943/187 के मध्य पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते